सोमवार, 27 फाल्गुन, शक संवत् 1934
(18 मार्च, 2013 ई0)

खण्ड-484
अंक-09

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11.00 बजे श्री अधिष्ठाता (श्री सुरेश कुमार खन्ना) के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये और उनके उत्तर दिये गये।

श्री अधिष्ठाता ने पीठासीन होने के कारण तारांकित प्रश्न संख्या-5 को बाद मे लिये जाने के निर्देश दिये।

तारांकित प्रश्न संख्या-7 के मध्य ही 11 बजकर 36 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।

श्री अध्यक्ष ने तारांकित प्रश्न संख्या-5 लिया।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की रुचि पर तारांकित प्रश्न संख्या-1 तथा 3 लिये गये।

श्री अनीसुर्रहमान ने प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या-4 को पांचवें सोमवार हेतु स्थगित होने का उल्लेख करते हुए उसका उत्तर दिलाये जाने की मांग की। श्री अध्यक्ष ने कहा कि उसका जवाब तो आ जायेगा।

श्री चन्द्रभान सिंह ने अपनी व्यक्तिगत समस्या उठाते हुए कहा कि दारुलशफा स्थित उनके आवास संख्या-सी-1 के पीछे की दीवार दिनांक 25-2-13 तथा 12-3-13 की रात को तोड़ी गयी, उसे बनवाने एवं दस्यु प्रभावित क्षेत्र का होने के कारण स्वयं की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त गनर की व्यवस्था की मांग करने पर संसदीय कार्य मंत्री ने तत्काल दीवार को बनवाने एवं मा0 सदस्य की सुरक्षा व्यवस्था को दिखवा लेने का आश्वासन दिया।

आज नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 28 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गईं, जो पढ़ी हुई मानी गयीं :-

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
1	श्री सुरेश कुमार खन्ना	जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम मऊबासक से बिलरिया मार्ग पर छोटे पुल के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2	श्री विजय बहादुर यादव	गोरखपुर में नौसड़ के शहरी फीडर से नजदीक के गांवों में शहरी विद्युत सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री रवि शर्मा	नगर निगम झांसी में सम्मिलित किये गये 15 गांवों को विद्युतीकरण का लाभ न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4	श्री सुभाष पासी	सैदपुर, जनपद गाजीपुर अन्तर्गत गांगी नदी पर बंधा बनाये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री बृजेश कुमार	प्रदेश के आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों का विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।
6	श्री अमर पाल शर्मा	विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रदेश के कई शहरों में 24 घण्टे आपूर्ति के नाम पर विद्युत दरें निर्धारित किये जाने से जनपद गाजियाबाद में असन्तोष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
7	श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया	विधान सभा क्षेत्र कानपुर कैंट में श्याम नगर चौराहे से बाईपास तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
8	श्री रमेश चन्द्र	जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के विकास खण्ड पहाड़ी में क्षतिग्रस्त माधवपुर से बेदौली मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज	महोबा विधान सभा क्षेत्र में जिला चिकित्सालय एवं दुरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
10	श्री पूर्णमासी देहाती	जनपद कुशीनगर में दिनांक 14 मार्च, 2013 को एफ0सी0आई0 के निर्माणाधीन गोदाम के ढह जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
11	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह	क्रान्तिकारी राणा बेनी माधो व वीर बीरा पासी की स्मृति में प्रेरणा स्थल का निर्माण कराये जाने व जनपद रायबरेली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उनके नाम अंकित किये जाने के सम्बन्ध में।

12	श्री पंकज कुमार मलिक	प्रशिक्षित बी0टी0सी0 प्रशिक्षार्थियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।
13	श्री रविन्द्र भड़ाना	जनपद मेरठ के सुभारती मेडिकल कालेज एवं अन्य स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों द्वारा पैरा मेडिकल छात्रों से अवैध धन की वसूली करने पर कठोर कार्यवाही करते हुए पर्याप्त सीटों को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।
14	श्री रामचन्द्र यादव	जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के क्षतिपूर्ति मार्गों को शीघ्र मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।
15	श्री काली चरन सुमन	जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण क्षेत्र की बन्द पड़ी टी0टी0एस0पी0 की पानी के टंकियों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।

आज नियम-300 के अन्तर्गत कुल 4 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जो अग्राह्य हुईं।

नियम-301 की भांति नियम-51 के अन्तर्गत मा0 सदस्यों से एक सप्ताह में केवल एक सूचना लेने तक ग्राह्यता की संख्या-10 से बढ़ाकर 20 किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना ने औचित्य का प्रश्न उठाते हुए कहा कि नियम-51 के अन्तर्गत मात्र 10 सूचनाओं पर वक्तव्य, केवल वक्तव्य एवं शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि दिनांक 26 फरवरी, 2013 के बाद अभी तक नियम-51 के अन्तर्गत उनकी सूचना नहीं ली गयी हैं। उन्होंने नियम-301 की भांति नियम-51 की सूचना भी स्वीकार होने के उपरान्त सप्ताह में एक बार ही लिये जाने का अनुरोध किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि समय व दिन सीमित है और काम ज्यादा बढ़ रहा है। मा0 अध्यक्ष इस पर विचार कर सकते हैं कि एक मा0 सदस्य एक सप्ताह में अपनी एक ही सूचना दे पायें। उन्होंने यह भी कहा कि समय-समय पर आपके द्वारा सूचना सुनी भी जाती हैं और आदेश और निर्देश भी दिये जाते हैं। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

विधायक के सांसद निर्वाचित होने पर उन्हें भी शिक्षक विधायक की भांति दोहरा वेतन/पेंशन दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी के औचित्य के प्रश्न की सूचना के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष ने अवगत कराया कि मा0 सदस्य उपस्थित नहीं हैं इसलिए इसे नहीं सुना जायेगा।

प्रदेश में हो रही निर्मम हत्याओं के मामलों में मृतक आश्रित परिवारों को सरकार से आर्थिक मदद दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य की औचित्य के प्रश्न की सूचना पोषणीय न होने के कारण अग्राह्य हुई।

विधान सभा सचिवालय कर्मियों को लोक सभा सचिवालय के कर्मियों की भांति वेतन व अन्य सुविधाएं दिये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप के औचित्य के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष ने अवगत कराया कि सचिवालय से सम्बन्धित विषय को विधान सभा में नहीं लिया जाता है। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य की।

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री ने लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-09-2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

परिवहन मंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (01 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक) को सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-33 की उपधारा (4) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखा।

दिनांक 26 फरवरी, 2013 को आगरा में सैंया स्थित श्रेयस बैंक में सहायक मैनेजर एवं कैशियर की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र उपाध्याय तथा डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2013 को नियम-56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

डा0 धर्मपाल सिंह ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

आज नियम-56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव की 18 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जो कार्य-स्थगन के रूप में अग्राह्य हुईं।

नियम-56 की सूचनाओं में बढ़ोत्तरी का उल्लेख करते हुए श्री अध्यक्ष ने कहा कि मा0 सदस्य नियम-56 को पढ़कर सूचना दिया करें। उन्होंने यह भी कहा कि और भी नियम हैं उनमें भी सूचना दिया करें।

प्रदेश में 16 सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा दी गयी परिसमापन की नोटिस को संज्ञान में न लिये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल ने विचार व्यक्त करते हुए सहकारी बैंक के बन्द होने की स्थिति को देखते हुए उन्हें चालू करने हेतु नीतिगत निर्णय लेने की मांग की। सहकारिता मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए उन्हें चालू रखने का आश्वासन दिया। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

यू0पी0 बोर्ड की परीक्षाओं में अव्यवस्था एवं अनेक स्थानों पर निरीक्षकों की अनुपस्थित रहने एवं व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री हुकुम सिंह ने कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर विचार व्यक्त करते हुए तत्काल नकल रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करते हुए परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा करवाने की मांग की। श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) ने भी विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

जनपद आगरा में दिनांक 15 मार्च, 2013 को दयालबाग एजूकेशन इंस्टीट्यूट में 25 वर्षीय शोध छात्रा कु0 नेहा शर्मा की बेरहमी से की गई हत्या से उत्पन्न स्थिति विषयक नेता विरोधी दल एवं अन्य की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर नेता विरोधी दल ने पहले डा0 धर्मपाल सिंह के विचार व्यक्त किये जाने हेतु अनुरोध किया जिस पर श्री अध्यक्ष ने अनुमति दी। तदुपरान्त डा0 धर्मपाल सिंह ने विचार व्यक्त करते हुए हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी करवाने तथा प्रकरण पर चर्चा कराये जाने की मांग की। नेता विरोधी दल ने भी अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा शासन का पक्ष रखने पर नेता विरोधी दल उत्तेजित होकर अपने दल के सदस्यों के साथ सरकार विरोधी नारे लगाते हुए वेल में आ गये। नेता विरोधी दल एवं संसदीय कार्य मंत्री के मध्य तीखी नोंक-झोंक हुई। श्री अध्यक्ष द्वारा अनेक बार अनुरोध करने के बावजूद नेता विरोधी दल द्वारा अपने दल के सदस्यों सहित अपनी सीटों पर वापस न जाने पर उन्होंने घोर व्यवधान के चलते सदन की कार्यवाही 01 बजकर 20 मिनट पर 05 मिनट के लिए स्थगित की।

01 बजकर 25 मिनट पर सहायक मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिए बढ़ा दिया है।

01 बजकर 35 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुयी।

श्री अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रकरण को गम्भीरता से लिये जाने का हवाला देते हुए सूचना अग्राह्य की।

संतकबीर नगर में एस0ओ0जी0 टीम के सिपाही द्वारा सिपाही सिकन्दर अली की हत्या किये जाने की जांच तथा उनके परिवार को आर्थिक सहायता किये जाने विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर डा0 मो0 अयूब ने विचार व्यक्त करते हुए हत्यारे की गिरफ्तारी के बाद छूट जाने तथा मृतक के परिवार की 20 लाख की आर्थिक मदद करते हुए उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दिलवाये जाने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि गिरफ्तारी के बाद छूट जाना न्यायालय की परिधि का प्रकरण है। उन्होंने मृतक के परिवार के सम्बन्ध में विचार करने का आश्वासन दिया। तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से निम्नलिखित अनुदानों पर मांगों के प्रस्ताव प्रस्तुत किये :-

(1) 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 40,98,99,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(2) 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 76,45,77,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(3) 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,11,42,41,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(4) 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 41,93,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मा0 मंत्री के भाषण के मध्य ही 01 बजकर 46 मिनट पर अधिष्ठाता प्रो0 शिवाकान्त ओझा पीठासीन हुए।

श्री राजबली जैसल ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-80, 81, 83 एवं 87 के अधीन मांगी गयी धनराशियां घटाकर एक-एक रुपया कर दी जायं। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम्य विकास, खेलकूद एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री श्री राम करन आर्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री उपेन्द्र तिवारी की चर्चा के मध्य 3 बजकर 17 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री पूर्णमासी देहाती,

श्री अजय कुमार ''लल्लू'',

श्री अनीसुर्रहमान,

श्री काली चरन सुमन,

श्री सत्यवीर मुन्ना तथा

सुश्री सावित्री बाई फूले।

सुश्री सावित्री बाई फूले द्वारा भाषण हेतु तेज-तेज बोलने पर श्री प्रमोद तिवारी ने चुटकी लेते हुए कहा कि नेता विरोधी दल की कुर्सी को खतरा हो सकता है इस पर नेता विरोधी दल ने सुश्री सावित्री बाई फूले के विचारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का वे सम्मान करते हैं।

श्री राजबली जैसल ने उत्तर भाषण दिया।

समाज कल्याण मंत्री ने उत्तर भाषण दिया।

कतिपय सदस्यों द्वारा स्पष्टीकरण प्राप्त किये जाने पर समाज कल्याण मंत्री ने कहा मा0 सदस्य अपने क्षेत्र की समस्या लिखकर उन्हें दे दें वे दिखवा लेंगे। तदुपरान्त श्री राजबली जैसल द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या-80, 81, 83 एवं 87 के अधीन मांगी गई धनराशियां पूर्ण रूप से स्वीकृत हुईं।

स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,35,73,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 5,13,61,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री राजबली जैसल ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-27 के अधीन मांगी गयी धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मा0 मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा अनुदान संख्या-27 के अधीन मांगी गई धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 41,03,98,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के भाषण के मध्य 4 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता प्रो0 शिवाकान्त ओझा पीठासीन हुए।

श्री पंकज कुमार मलिक ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-13 के अधीन मांगी गयी धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

निम्नलिखित सदस्यों/मंत्रियों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू,
श्री दलवीर सिंह,
मनोरंजन कर राज्य मंत्री (श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय),
श्री रोशन लाल वर्मा,
श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य,
डा0 संग्राम यादव,
श्री नारद राय,
श्री कुंवर कौशल सिंह,
श्री धर्मपाल सिंह,
श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी तथा
श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या।

श्री पंकज कुमार मलिक ने उत्तर भाषण दिया।

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या-13 के अधीन मांगी गई धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

वस्त्रोद्योग मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 90,55,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री फेरन लाल ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-06 के अधीन मांगी गयी धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना सुझाव देना।

वस्त्रोद्योग मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री फेरन लाल द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या-06 के अधीन मांगी गई धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

आज नियम-51 के अन्तर्गत कुल 60 सूचनायें प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

क्र0सं0	नाम	विषय
1	श्री दिलनवाज खान	प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर पर्यटन अधिकारी/सहायक पर्यटन अधिकारी के रिक्त पदों को भरने एवं पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने के सम्बन्ध में।

2	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह	जनपद रायबरेली के ग्राम खजूरगांव स्थित सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र पर समाजवादी एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्रीमती मधुबाला	जनपद-संतरविदास नगर (भदोही) के औराई विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत दि काशी सहकारी चीनी मिल को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

1	श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव	वाराणसी के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों व नर्सिंग स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2	श्री सुदेश शर्मा	जनपद-मेरठ के मोदीनगर क्षेत्रान्तर्गत स्थित मोहिउद्दीनपुर शुगर मिल का पुनः संचालन करवाये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री रवि शर्मा	नगर निगम झांसी में प्राइवेट एजेन्सी द्वारा धन उपलब्ध कराये जाने के बावजूद मंदाकिनी प्रदूषण रोकने हेतु ट्रीटमेन्ट प्लान्ट न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट हुआ :-

1	श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य	जनपद कौशाम्बी के सिराथू तहसील में चक मार्गों पर अवैध कब्जा हटाने एवं तालाबों और सन्तकबीर आश्रम के पट्टे के अनुसार कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में।
2	श्री लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद	जनपद संतकबीर नगर के अन्तर्गत मेंहदावल से गोरखपुर मार्ग बढ़या ठाठर घाट राप्ती नदी पर निर्माणाधीन पुल के रुके हुए कार्य को तत्काल शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री सुरेश बंसल	गाजियाबाद शहर में पुराने म्युनिसिपल बोर्ड के कार्यालय, चौराहे के जर्जर सड़क तथा नाले की सफाई, टूटे स्लैप का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री जगन प्रसाद गर्ग	जनपद आगरा में सुल्तानगंज पुलिया पर लगी मीडियम मास्क जो पूरी तरह बन्द हैं, को तत्काल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री संजय कपूर	रामपुर की तहसील बिलासपुर स्थित रूद्र बिलास किसान सहकारी चीनी मिल का प्लान्ट व बायलर नया लगवाये जाने तथा किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

जनपद चन्दौली में वित्तीय वर्ष 2012 में अवमुक्त धनराशि से विकास कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह चौहान द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य मा0 सदस्य के अनुपस्थित रहने पर व्यपगत हुआ।

जनपद कौशाम्बी के क्षेत्र चायल के अन्तर्गत विकास खण्ड मूरतगंज में इमामगंज से हर्रायपुर वाया नर्वरपट्टी होते हुए बदनपुर घाट तक की जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 आसिफ जाफरी द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गोरखपुर के क्षेत्र सहजनवां के अन्तर्गत विभिन्न मार्गों एवं पेयजल की पाइप लाइनों की मरम्मत एवं निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य मा0 सदस्य के अनुपस्थित रहने पर व्यपगत हुआ।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुवन के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में घाघरा नदी से हो रही भू-कटान की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में श्री उमेश पाण्डेय द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री का वक्तव्य मा0 सदस्य के अनुपस्थित रहने पर व्यपगत हुआ।

होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड में हो रही वित्तीय अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त बोर्ड को तत्काल भंग किये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य मा0 सदस्य के अनुपस्थित रहने पर व्यपगत हुआ।

जनपद लखनऊ स्थित जानकीपुरम्, सेक्टर-एच, कुर्सी रोड, पहाड़पुर चौराहे से कम्युनिटी सेन्टर होते हुए सहारा स्टेट को जाने वाली सड़क का बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शारदा प्रताप शुक्ला द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद चित्रकूट के थाना पहाड़ी के ग्राम बरेठी में विद्युत व्यवस्था की विभिन्न समस्याओं का समाधान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री विशम्भर सिंह द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली अन्तर्गत बिजली आपूर्ति किये जाने एवं नये ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष रावत द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम के गैर तकनीकी कर्मचारियों को पंचम वेतन का एरियर भुगतान तथा छठे वेतनमान के अन्तर्गत ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर द्वारा दिनांक 12 मार्च, 2013 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन अपराह्न 07 बजकर 11 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।